

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹249.75200 लाख (दो करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार दो सौ रु०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तत्काल कुल राशि ₹79.75200 लाख (उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार दो सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत योजनाओं का प्राक्कलन संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा उपलब्ध कराते हुए योजना की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में विभिन्न नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कुल राशि ₹249.75200 लाख (दो करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार दो सौ रु०) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-7 में अंकित तत्काल राशि ₹79.75200 लाख (उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार दो सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष, 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	पी०एल० सं०	HOA	प्राक्कलित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, दरभंगा	लहेरियासराय बंगाली टोला में रोज पब्लिक स्कूल से डॉ० रेणुका मित्रा के घर होते हुए सुशील मिश्रा महाराणा प्रताप कॉलेज होते हुए डॉ० मोहन मिश्रा के घर तक एवं नागेन्द्र झा महिला कॉलेज होते हुए महारानी कॉलेज तक पथ सह नाला निर्माण कार्य।	DBGP LA012	00-8448-00-102-0001-00-01	249.75200	79.75200	170.00

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹79.75200 लाख (उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार दो सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 227, दिनांक- 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निकाय के PL खाता तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹79.75200 लाख (उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार दो सौ रू०) मात्र की निकासी माँग संख्या- 48 नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193- नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0103- परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217031930103, विषय शीर्ष-0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम- 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. योजना का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

7. उक्त योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355वि(2), दिनांक- 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/सड़क-15-12/2025(A) के पृष्ठ सं०-.....10...../टि० पर दिनांक-02.05.25 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....10...../टि० पर दिनांक-05.05.25 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/सड़क-15-12/2025 (A) 86 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 05.05.25

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।